उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

अनुसूची – 14 – फारम सं0 – 563

(11)

आदेश – फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम – 129)

राम उरांव
बनाम
सिमान्ती देवी

आदेश फलक तारीख............से..............तक। जिला – गुमला

वाद सं0 :– **35/2016–17**

वाद का प्रकार :– ईवीक्शन अपील (Eviction Appeal)

अपीलार्थी श्री राम उरॉव पिता–मंगरा उरॉव पता–दुन्दरिया, गुमला थाना–गुमला जिला–गुमला के द्वारा Eviction Suit–153/2016'–17 में अनुमण्डल पदाधिकारी गुमला के पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर अपील दायर किया गया है।

अपीलार्थी लगातार अनुपस्थित जिसके कारण उनके पक्ष को नही सुना गया। प्रश्नगत भूमि मौजा दुन्दरिया के खाता नं0–122 प्लॉट नं0–383 रकबा–0.06 एकड़ से संबंधित है।

उत्तरवादी के द्वारा लिखित बहस के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि को मूल मालिक जगेश्वर मिश्र से निबंधित पट्टा सं0–637/93 दिनांक–7.04. 1993 को क्रय की थी तत्पश्चात् उक्त भूमि का दाखिल खारिज कराकर सरकार को लगान अदा कर रहे है। प्रश्नगत भूमि पर उत्तरवादी का मकान बना हुआ है। उत्तरवादी के पति सरकारी नौकरी में कार्यरत थे तथा एक जगह से दूसरे जगह आना जाना होता था वैसे परिस्थिति में उक्त मकान को देख रेख करने के उदेश्य से अपने देवर जो इस वाद में अपीलार्थी है को दिया गया था। इस संबंध में सेक्शन–2(इ) ऑफ झारखण्ड विल्डिंग लीज रेंट एण्ड इभिक्शन कन्ट्रोल एक्ट 2011 स्पष्ट रुप से अवधारित करता है कि "Tenant" means any person by whom or on whose account rent is payable for a building and includes.

(1) A person who occupies a building as on employee of the land lord of such building either on payment or rent or otherwise.

इस तरह से अपीलार्थी राम उरॉव उत्तरवादी के "Tenant" हुए तथा इस तरह से उत्तरवादी एवं अपीलार्थी के बीच Landlord और टेनेन्ट का संबंध स्थापित हुआ। उत्तवादी के पति सरकारी सेवा से सेवानिवृत के पश्चात वर्ष–2010 में जब उत्तरवादी अपने घर वापस लौटी तथा उत्तरवादी को अपनी निजी आवश्यकता तथा आवास हेतु प्रश्नगत भूमि की जरुरत पडी तथा अपीलार्थी से आग्रह किया परन्तु अपीलार्थी राम उरॉव द्वारा हमेशा टाल मटोल किया गया। उत्तरवादी के द्वारा मकान खाली करने हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी गुमला के न्यायालय में वाद दायर किया जिसका Eviction वाद सं0–153/2016–17 पडा। अनुमण्डल पदाधिकरी गुमला के द्वारा वाद की पूर्ण सुनवाई करते हुए उत्तरवादी के पक्ष में फैसला दिया। उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा झारखण्ड बिल्डिंग लीज रेंट एण्ड इभिक्शन कन्ट्रोल एक्ट 2011 के धारा 25 के अन्तर्गत Eviction का किया गया आदेश का अपील का प्रावधान नही है। उसके लिए रिवीजन उच्च न्यायालय में ही हो सकता है, परन्तु अपीलार्थी द्वारा कोई रिवीजन उच्च न्यायालय में दाखिल नही किया। उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि निम्न न्यायालय के द्वारा उचित आदेश पारित किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

अतः निम्न न्यायालय के आदेश को यथावत रखते हुए उत्तरवादी के आवेदन को स्वीकार किया जाय।

उत्तरवादी के द्वारा साक्ष्य के रुप में निम्नलिखित कागजात की छाया प्रति संलग्न किया गया है:–

(1) निबंधित पट्टा सं0 637/93 की छाया प्रति

(2) लगान रसीद की छाया प्रति

निम्न न्यायालय के अभिलेख, तथा उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस के अवलोकन से ज्ञात होता है कि निम्न न्यायालय के द्वारा उत्तरवादी के पक्ष में दिये गये निर्णय विधिसम्मत प्रतीत होता है।

अतः निम्न न्यायालय के आदेश को यथावत रखते हुए Eviction Appeal वाद को निरस्त किया जाता है। अंचल अधिकारी गुमला को निदेशित किया जाता है कि एक पक्ष के अन्दर मकान खाली कराकर उत्तरवादी को मकान उपलब्ध करा दे।

कार्यवाहक सहायक को निदेश दिया जाता है कि निम्न न्यायालय के मूल अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापस भेजे, तथा आदेश की एक प्रति अनुपालन हेतु अंचल अधिकारी, गुमला को भी दे।

लेखापित एवं संशोधित

22.03.22
उपायुक्त,
गुमला

22.03.22
उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2022.11.24 12:17:19 +05:30
Location: 192.168.5.106

Scanned with OKEN Scanner